न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 496 सन 2018

अनवान :–

1. संदीपसिह पुत्र जबरजंगसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा।

वादी

बनाम

1. गुरदतसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी 9 आरपीएम तहसील नोहर ।
2. करतारसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा
3. सुखरामसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा
4. गुरमेलकोर पत्नी जबरजंगसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा
5. सिमरजीत कौर पुत्री जबरजगसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा पंजाब
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 76/65 के खसरा न0 45 की 5.0080हैक , खाता संख्या 149/134 की कुल 7.9550हैक , चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 23/19 की कुल 12.4223हैक में 1/3 हिस्सा , चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 70/65 की कुल 3.4021हैक हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जो छोटे छोटे टुकडों में है वादी एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

मुताबिक बाहमी बटवारा रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 76/65 के खसरा न0 45 की 5.0080हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर दिया एवं खाता संख्या 149/34 की 7.9550हैक व चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 70/65 की 2.4290है खाता संख्या 38/34 की 3.4021हैक तथा खाता संख्या 23/19 की 12.4223हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ,5 को कोई हक हिस्सा नही होगा इन्होने अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है उक्तानुसार बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 76/65 में प्रतिवादीगण ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने निवेदन किया की शेष वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दी गई है इसी अनुसार बाहमी बटवारा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है व अपने कथनों के समर्थन में राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा /ईकबाला दावा पेश किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 76/65 के खसरा न0 45 की 5.0080हैक , खाता संख्या 149/134 की कुल 7.9550हैक , चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 23/19 की कुल 12.4223हैक में 1/3 हिस्सा , चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 70/65 की कुल 3.4021हैक हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खाते में दर्ज एवं वादी एवं प्रतिवादीगण सजरा खानदान के अनुसार एक ही परिवार के सदस्य है वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया एवं एक दुसरे के पक्ष में हकों का त्याग किया गया है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की हम एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की बहन है ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया है अर्थात कब्जा काश्त के अनुसार भूमि के हको का त्याग एक दुसरे के पक्ष में किया गया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया है

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 76/65 के खसरा न0 45 की 5.0080हैक , खाता संख्या 149/134 की कुल 7.9550हैक , चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 23/19 की कुल 12.4223हैक में 1/3 हिस्सा , चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 70/65 की कुल 3.4021हैक हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया हुआ है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने आपसी सहमति से जो भूमि काश्त करते है के अनुसार बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ने स्वीकार कर निवेदन किया की उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 76/65 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया हुआ है इसी प्रकार खाता सख्या 149/134 की कुल 7.9550हैक भूमि वादी व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोटड़ा

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है चक 6 आरपीएम की भूमियों में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है अपने इसी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने कथनों के सम्बध में राजस्व लोक अदालत में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता ,5 ने अपने हकों का त्याग एक दुसरे के पक्ष में किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 76/65 के खसरा न0 45 की 5.0080हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार खाता संख्या 149/134 की कुल 7.9550हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जावे एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 38/34 की 3.4021 ,खाता संख्या 70/65 की 2.4290 , खाता संख्या 23/19 की 12.4223है में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 , 5 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. संदीपसिह पुत्र जबरजंगसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा।

वादी

बनाम

1 गुरदतसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी 9 आरपीएम तहसील नोहर ।
2. करतारसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा
3. सुखरामसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा
4. गुरमेलकोर पत्नी जबरजंगसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा
5. सिमरजीत कौर पुत्री जबरजगसिह जाति जटसिख निवासी हरीनों तहसील कोटकपूरा पंजाब
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 221 सन 2019 निर्णय दिनांक–11\02\2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 76/65 के खसरा न0 45 की 5.0080हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार खाता संख्या 149/134 की कुल 7.9550हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जावे एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 38/34 की 3.4021 ,खाता संख्या 70/65 की 2.4290 , खाता संख्या 23/19 की 12.4223है में 1/3 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 , 5 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11\02\2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)